

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बीदासर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी : अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 361/2025

दायरा तिथि : 01/12/2025

निर्णय :- 9/4/2026

खींयाराम

बनाम

कमला आदि

प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति

- 1 खिंयाराम पुत्र भगाराम जाति मेघवाल निवासी रेडा तहसील बीदासर जिला चूरु (राज.)
- प्रार्थी

बनाम

- 1 कमला पत्नी जगदीश जाति रेगर निवासी बडली तहसील मुन्डवा जिला नागौर राज.
- 2 शाखा प्रबंधक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर शाखा कातर छोटी तहसील बीदासर जिला चूरु राज.
- 3 शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नागौर जिला नागौर राज.
- 4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरु
- 5 उप पंजीयक बीदासर

अप्रार्थीगण

उपस्थित :-


1. ज्ञानाराम चौधरी, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते प्रार्थी
2. रघुवीर भामू, विद्वान अधिवक्ता, वास्ते अप्रार्थी संख्या 01
3. अप्रार्थीगण संख्या 02 व 03 के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही
4. अप्रार्थी संख्या 04 व 05 स्वयं वास्ते पैरोकार राज.

दिनांक 9/4/26

आदेश

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध अप्रार्थीगण का निस्तारण इस आदेश द्वारा किया जा रहा है।

प्रार्थ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के ग्राम रेडा में खेत खसरा नम्बर 468/151 तादादी 3.6169 हेक्टेयर व खसरा संख्या 60 तादादी 0.2023 हेक्टेयर खातेदारी कब्जा-काशत की थी लेकिन कुछ वर्ष पूर्व प्रार्थी ने खसरा संख्या 468/151 अप्रार्थीनी संख्या 01 को जरिये विक्रय-पत्र, विक्रय कर दिया। उक्त दोनों खसरा मौके पर एकल खेत हैं, जिस पर कब्जा-काशत अब भी प्रार्थी का ही चला आ रहा है। क्योंकि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने अपनी खरीदशुदा भूमि की काशत करने के लिए प्रार्थी को सौंप रखी है। प्रार्थी के खसरा संख्या 60 व अप्रार्थीनी के खसरा संख्या 468/151 के बीच में सीमा भी प्रार्थी ने अप्रार्थीनी संख्या 01 को खरीद के समय से ही बता रखी है। दोनों खसरे एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, परंतु



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरु)

राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही से उक्त दोनों खसरान के बीच नक्शा में कटाणी रास्ता दर्शा दिया जबकि उक्त रास्ता शुरू से ही दोनों खसरा के पश्चिमी तरफ चलता आ रहा है। जो आज भी मौका पर चालू है। जिस पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है। अप्रार्थीनी संख्या 01 ने दिनांक 25.11.2025 को प्रार्थी को धमकी दी कि राजस्व रिकॉर्ड नक्शा का फायदा उठाने के लिए सड़क की पूर्व की सम्पूर्ण भूमि खसरा संख्या 468/151 में दर्शाई हुई है जिसमें सड़क से पूर्वी साईड की सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीनी संख्या 01 अपना कब्जा करके विक्रय करने तथा कब्जा क्रेता का करवाने की धमकियां दी। जिस पर प्रार्थी ने निवेदन किया कि दोनों खसरा का रकबा सही है नक्शा गलत बना हुआ है, जिसको शुद्ध करवाने हेतु हम सहमति से न्यायालय में दावा कर शुद्ध करवा लेंगे। लेकिन अप्रार्थीनी संख्या 01 के मन में गलत नक्शा को लेकर लालच आ गया है, जिस कारण उसने गलत नक्शा की आड़ में रास्ता से पूर्व की सम्पूर्ण भूमि के विक्रय का सौदा अन्य व्यक्ति के साथ कर रही है तथा सड़क से पूर्वी तरफ की सम्पूर्ण भूमि अपनी बताकर स्वयं व भावी क्रेता का कब्जा करवाना चाहती है। इसलिए अप्रार्थीनी संख्या 01 के गलत कृत्य को रोकवाने के लिए न्यायालय से चिर निषेधाज्ञा की डिफ्री से वर्जित करवाना आवश्यक हो गया है प्रार्थी के हिस्से-पांति व कब्जा-काश्त की भूमि पर काश्त करने से नहीं रोके एवं न ही प्रार्थी के कब्जे-काश्त में किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी देवें, आदि-आदि प्रार्थना-पत्र पेश किया।

अप्रार्थीनी संख्या 01 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 0.2023 हेक्टेयर भूमि है एवं अप्रार्थीनी संख्या 01 की खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 468/151 तादादी 3.6169 हेक्टेयर रोही रेड़ा में भूमि है। उपरोक्त खसरा नम्बर 468/151 तादादी 3.6169 हेक्टेयर रोही रेड़ा भूमि प्रार्थी के द्वारा ही अप्रार्थीनी संख्या 01 को जरिये विक्रय पत्र से विक्रय की थी जो प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति की मद संख्या 01 में स्वीकार किया है। अप्रार्थीनी संख्या 01 के खरीदशुदा भूमि खरीद के दिन से अपनी भूमि पर काबिज चली आ रही है तथा दोनों खसरा भूमि के मध्य से कटाणी रास्ता चलता है जो राजस्व अक्स में दर्शित एवं मौके पर विद्यमान है। अप्रार्थीनी संख्या 01 ने आगे निवेदन किया कि जब मुझ प्रार्थीनी को भूमि विक्रय की उस समय खसरा नम्बर 60 की भूमि का मौके पर कोई अस्तित्व नहीं था, भूमि का रकबा कम होने से आरम्भ से ही खसरा नम्बर 480/59 के खातेदार के भूमि के साथ कब्जा में थी, मौके पर उपरोक्त भूमि का अस्तित्व नहीं रहा। अब प्रार्थी ने अत्यंत ही

चालाकी से धारा 136 एल.आर. एक्ट का यह प्रार्थना-पत्र पेश कर चतुराई से माननीय न्यायालय से इस प्रकार का अनुतोष प्राप्त करना चाहता है, जो कानूनी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। साथ ही अप्रार्थीनी संख्या 01 ने निवेदन किया कि प्रार्थी इस दावे के आड़ में अप्रार्थीनी के आवागमन के रास्ते को पूर्णतया बंद करना एवं भूमि की पूर्णतया स्थिति में परिवर्तन करना चाहता है, जबकि दोनों खसरा भूमि पृथक्-पृथक् हैं एवं मध्य में कटाणी रास्ता दर्शित है। अप्रार्थीनी संख्या 01 को खसरा नम्बर 468/151 की भूमि प्रार्थी के द्वारा ही विक्रय दिनांक 09.02.2016 को की गई थी, उस समय भी यह तथ्य प्रार्थी के ध्यान में था, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति विधि विरुद्ध है। प्रार्थी को अप्रार्थीनी की उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार से लोकस स्टैंडर्ड नहीं है। यदि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र सीमाज्ञान का होता तो किसी प्रकार से वैधानिक सर्वे रिपोर्ट/सीमाज्ञान/पुनर्मापन की प्रक्रिया अपनाता। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति खारीज योग्य है। अप्रार्थीनी संख्या 01 की खरीदशुदा भूमि खरीद के दिन से ही कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग प्रार्थीनी का ही चला आ रहा है। अप्रार्थीनी की भूमि पर प्रार्थी का किसी प्रकार से कब्जा-काश्त नहीं है और न ही अप्रार्थीनी संख्या 01 की भूमि पर प्रार्थी का कोई कानूनी अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति पूर्णतया दुर्भावना पूर्वक गलत पेश किया गया है, खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।



उपखण्ड अधिकारी

बीदासर (चुम्ब)

प्रार्थना-पत्र के निरतारण के लिए न्यायालय को निम्न तीन बिन्दुओं पर विचार करना है जिनके सम्बन्ध में हमारा विनिश्चय निम्न प्रकार है -

1. प्रथम दृष्ट्या मामला
2. सुविधा का संतुलन
3. अपूर्तीय क्षति

1. प्रथम दृष्ट्या मामला -

प्रार्थी ने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना-पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण के विरुद्ध ताफैसला मुकदमा इस आशय का अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी द्वारा रोही रेड़ा तहसील बीदासर में जरिये विक्रय पत्र दिनांक 09.02.2016 को अप्रार्थीनी संख्या 01 को विक्रय की गई भूमि है, जो खसरा संख्या 468/151 तादादी 3.6169 हेक्टेयर साथ ही प्रार्थी का खेत खसरा नम्बर 60 तादादी 0.2023 हेक्टेयर जो स्वयं के खातेदारी के खेत है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 09/02/2016 को अपने खातेदारी खेत को अप्रार्थीनी संख्या 01 को जरिये विक्रय पत्र विक्रय किये गये खेत पर प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जिसको प्रार्थी स्वयं विक्रय करना स्वयं स्वीकार करता है व उसी भूमि को प्रार्थी अपनी काशत बताता आ रहा है। जबकि प्रार्थीनी संख्या 01 ने अपने जवाब में जिस दिन प्रार्थी द्वारा विक्रय पत्र निष्पादित करवाया था उसी दिन से कब्जा-काशत उपयोग उपभोग अप्रार्थीनी संख्या 01 का चला आ रहा बता रहा है। उपरोक्त खरीदशुदा भूमि अप्रार्थीनी के मालिकाना अधिकार व कब्जा उपयोग उपभोग में साधिकार पूर्वक चली आ रही है, अप्रार्थीनी ने काफी रुपये खर्च करके अपनी विक्रय पत्र के आधार पर प्राप्त भूमि पर काशत स्वयं करती है, अप्रार्थीनी संख्या 01 की खरीदशुदा भूमि में प्रार्थी अप्रार्थीनी को आवागमन के रास्ता को बंद कर अप्रार्थीनी की खरीदशुदा भूमि में रास्ता को समाहित करना चाहता है, प्रार्थी का खसरा नम्बर 60 रोही रेड़ा कटाणी रास्ता के पश्चिम में है एवं अप्रार्थीनी संख्या 01 की खातेदारी भूमि कटाणी रास्ता के पूर्वी तरफ है जो मौके पर प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पेश दस्तावेज से प्रमाणित है। प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 60 को कटाणी रास्ता के पश्चिम में अंकित करने का तात्पर्य है कि खसरा नम्बर 468/151 रोही रेड़ा के कटाणी रास्ता समाप्त हो जाना और साथ प्रार्थी के खातेदारी खसरा नम्बर 60 के क्षेत्रफल को यदि देखा जावे तो जाहिर है कि उपरोक्त भूमि का मौके पर अस्तीत्व नहीं है। यदि प्रार्थी के खसरा संख्या 60 की भूमि खसरा नम्बर 468/151 के चिपती हुई होती तो अप्रार्थीनी ने जिस समय जरिये विक्रय पत्र खरीद की उसी समय प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि को भी विक्रय अप्रार्थीनी संख्या 01 को करता। क्योंकि प्रार्थी के खसरा संख्या 60 की भूमि 0.2023 हेक्टेयर है, जो काशत के लायक नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि मौके पर वास्तव में ही नहीं होने के कारण ही प्रार्थी ने केवल खसरा संख्या 468/151 का विक्रय पत्र का पंजीकरण अप्रार्थीनी के नाम करवाया था। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी भूमि की आड़ में तरमीम शुद्धि का गलत वाद पेश किया है, जो अप्रार्थीनी संख्या 01 की भूमि को हड़प करने की नियत से पेश किया है। उपरोक्त दोनों खसरा भूमि के मध्य से कटाणी रास्ता चलता है जो कि राजस्व अक्ष में दर्शित एवं मौके पर विद्यमान है। प्रार्थी स्वयं अप्रार्थीनी संख्या 01 के कानूनी अधिकारों एवं सम्पत्ति के उपयोग-उपभोग के अधिकारों में हस्तक्षेप करने की मंशा रखता है एवं प्रतिवादीनी संख्या 01 की भूमि पर गलत वाद की रचना से कब्जा करने की मंशा रखता है। इस प्रकार प्रार्थी को अप्रार्थीनी सं.01 की अपनी खरीदशुदा खातेदारी भूमि खसरा संख्या 468/151 तादादी 3.6169 हेक्टेयर रोही रेड़ा भूमि पर पाबंद करवाने का वादाधार एवं वादहेतुक प्राप्त नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र पूर्णतया काल्पनिक है, खारिज किया



उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (पुनः)

जाना आवश्यक है, क्योंकि अप्रार्थीनी संख्या 01 ने अपनी खातेदारी कब्जा, काश्त, उपयोग-उपभोग की भूमि स्वयं प्रार्थी से ही जरिये विक्रय पत्र खरीद की है और खरीद करने के दिन से ही उक्त भूमि पर कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग अप्रार्थीनी संख्या 01 का है। इसलिए वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 468/151 पर यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी गई तो अप्रार्थीनी संख्या 01 को भयंकर असुविधा होगी व अप्रार्थीनी संख्या 01 अपने अधिकारों से वंचित हो जायेगी। इस हद तक अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनना पाया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति -

सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में निस्तारित किया गया है। अप्रार्थीनी संख्या 01 ने खेत खसरा नम्बर 468/151 तादादी 3.6169 हेक्टेयर वाके रोही रेड़ा को जरिये विक्रय पत्र 09.02.2016 को खरीद किया है और उसी दिन से अप्रार्थीनी संख्या 01 का उक्त भूमि पर कब्जा-काश्त उपयोग-उपभोग रहा है, जो आज तक निर्बाध रूप से अप्रार्थीनी संख्या 01 का चला आ रहा है। यदि वादगत भूमि को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित किया जाता हो तो अप्रार्थीनी संख्या 01 को भयंकर अपूरणीय क्षति होगी। ऐसे में यदि उक्त विवादित भूमि को संरक्षित रखा जाता हो तो न केवल अप्रार्थीनी संख्या 01 को तुलनात्मक रूप से अधिक कठिनाई व अपूरणीय क्षति होगी, अपितु मूल वाद के निस्तारण में भी कठिनाई उत्पन्न होगी। अतः दोनों बिन्दु भी तदनुसार अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में तय किये जाते हैं।

उपरोक्त विवेचना अनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु अप्रार्थीनी संख्या 01 के पक्ष में निर्णित किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा इस प्रकार अस्वीकार किया जाता है कि पूर्व में दिनांक 01/12/2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश इसी स्तर पर खारिज किया जाता है व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को अस्वीकार कर खाजिर किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/4/26 को सरे इजलास सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी,
बीदासर